जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये कार्यो में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र

आज दिनांक 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा जनपद संतकबीरनगर में महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये कार्यो में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले उ0नि0 पूनम मौर्या, म0का0 पूजा चौहान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए तथा विकास की नई ऊचाईयों तक ले जाने के लिए हम सभी को सजगता के साथ समर्पित भाव से कार्य करने की जरूरत है। पुलिस अधि0/कर्मचारीगण को समय-समय पर उनका मनोबल एवं हौसला अफजाई करने के लिए सम्मानित किया जाता रहेगा, जिससे अन्य पुलिस अधि0/कर्मचारीगण का भी अपने कर्तव्यों की गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास करने का मन बनेगा और उत्साहित होकर अपना कार्य करेंगे।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 15.04.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में एनबीडव्ल्यू, वांछित, जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***सुश्री सरोज शर्मा*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 10 गुण्डा एक्ट में वांछित व जिलाबदर घोषित किए गये अभियुक्त नाम पता सलाम पुत्र याकूब निवासी अमथरी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को जनपदीय सीमा के अन्तर्गत उसके घर से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद सन्तकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बेलहकला पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 15.04.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0 उ0नि0 श्री रमेश कुमार यादव, हे0का0 राजीव यादव।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 15.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 1100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त रामजनक तिवारी पुत्र स्व0 बदरी तिवारी निवासी पैलीखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को प्रा0 विद्यालय सरौली चहरुम नहर के पास से 1100 ग्राम अवैध गांजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- रामजनक तिवारी पुत्र स्व0 बदरी तिवारी निवासी पैलीखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 314/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 1100 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 दीनानाथ राजभर, का0 सत्यप्रकाश।

जनपद – संतकबीरनगर*　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　*दिनॉक 15.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 79/2024 धारा 147/148/149/323/504/506/307/34 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता इरफान पुत्र समसुद्दीन निवासी माली टोला खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद छोटा फोल्डिंग चाकू के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण - 01 अदद छोटा फोल्डिंग चाकू।

संक्षिप्त विवरणः- विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.01.2024 को लाल मैरेज हाल के पास मोहल्ला मोतीनगर में खाली पड़े प्लाट में गुल्ली डण्डा खेल रहे थे। उसी समय दीपक पुत्र रामवृक्ष गुप्ता निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर व दीपक पुत्र मनोज कुमार निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर मौके पर पहुंचे तथा गुल्ली डण्डा खेलने के लिये बात करने लगे तथा आपस में कहा सुनी व लड़ाई झगड़ा करने लगे। विवाद के दौरान अभियुक्तगण द्वारा दीपक गुप्ता व उसके साथी दीपक ठठेरा को मार पीट कर घायल कर दिये। उक्त घटना के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0079/2024 धारा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 31.01.2024 को 1. मो0 हुजैफा पुत्र इश्तियाक अहमद उर्फ बबलू निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. शाहिद पुत्र मो0 यहिया निवासी मुखलिस पुर चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 3. मो0 फैसल पुत्र रईश अहमद खां निवासी पठान टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 4. मो0 वकील पुत्र मो0 नसीम निवासी बरदहिया बाजार मस्जिद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था तथा आज दिनांक 15.04.2024 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- वरिष्ठ उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, हे0का0 गनेश सोनकर, का0 पंकज विश्वकर्मा।

जनपद – संतकबीरनगर*　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　*दिनाँक 15.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता रमेश पुत्र रुपई निवासी जोगाराजा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह, का0 सत्येन्द्र यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत आमीडाडी से इवेन्ट संख्या 31688 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (**01-संतोष राय पुत्र बद्री राय निवासी डीहघाट थाना गगहा, 02- नागेन्द्र राय पुत्र गिरजेश राय निवासी रजनौली थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर**) के घायल होने के संबंध में सूचना

दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विमल सिंह, हो0चा0 हर्षनाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 109 वाहनों से 1,31,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 109 वाहनों से 1,31,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 15.04.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट संतकबीरनगर का किया गया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश व निकास द्वारों पर बैरियर व व पर्चा दाखिला स्थल पर उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिए गए

कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने व साफ सफाई आदि के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 15.04.2024 को *जिलाधिकारी संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्त रुप से कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान **प्रवेश व निकास द्वारों पर बैरियर व व पर्चा दाखिला स्थल पर उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया** साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा में लगे पुलिस बलों को **कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने देने के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।** निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर श्री शशि शेखर सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री ब्रजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 15.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 15.04.2024 को श्रीमान ***न्यायालय ए0एस0जे0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 687/2010 धारा 307/506 भा0द0वि0 के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त इलियास अहमद पुत्र हाजी अब्दुल रहीम निवासी सोनौरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को धारा 307 भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष कारावास तथा 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोससिद्ध अभियुक्त की जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 15.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन में थानो/कार्यालयों को वितरित किये आवश्यक उपकरण व दैनिक उपयोग के सामान, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सन्तकबीरनगर जनपद के समस्त थानों/ कार्यालयों को कार्य सरकार हेतु थानों/कार्यालयों को वितरित किये आवश्यक उपकरण व दैनिक उपयोग के सामानों का वितरण किया। महोदय द्वारा प्रिण्टर, यूपीएस, मानिटर, रिफ्लेक्टिव जैकेट, जनरेटर, कार्टेज, बालीवाल व बालीवाल नेट, हार्डडिस्क, एक्जास्ट फैन, पेन ड्राइव, हवालाती कम्बल, छाता, बॉडी प्रोटेक्टर, प्लास्टिक कुर्सी, रेनकोट, विजिटर चेयर, कीबोर्ड, माऊस, आरओ, फिनायल, टायलेट ब्रश, तेजाब, झाडू, वाइपर, डस्टबिन, मच्छरमार क्वाइल, टार्च(रिचार्जेबल), कुर्सी स्टील, इलेक्ट्रानिक केतली, ए0सी0, वेक्यूम क्लीनर, कूलर, वाल फैन, इन्वर्टर मय बैटरी आदि दैनिक उपयोग व कार्यालय के उपयोग हेतु सामाग्रियों का वितरण किया गया। वितरण के

दौरान प्रतिसार निरीक्षक ***श्री रजनीकान्त ओझा***, निरीक्षक रेडियों श्री सुनील कुमार, पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***उ0नि0 श्री जीतेन्द्र यादव*** सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।